Indian J. Soc. & Pol. 05(02):65-68:2018 **ISSN: 2348-0084(PRINT)**
UGC List No. 47956 (Till May 2,2018) **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारत में महिला मानवाधिकार की चुनौतियाँ

अर्जुन मिश्र[1a]
[a]एसोसिएट प्रोफेसर,राजनीति विज्ञान विभाग,शिवपति पी0जी0 कालेज शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर,उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

महिला पहले मानव है, बाद मे किसी की पुत्री, बहन, पत्नी व माँ है। महिला के दूसरे रूप को तो आदि काल से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है परंतु पहले रूप (मानव) को नहीं। आज भी लैंगिक असमानता समाज में दिखाई पड़ रही है । अधिकांश महिलायें हाशिये पर हैं। विभिन्न आंदोलनो, प्रगतिशील पुरूषों के अथक प्रयास, शिक्षा व आर्थिक क्षेत्र के विस्तार से महिलाओं में जागृति निःसंदेह आई है और महिलायें विभिन्न क्षेत्रों मे अपना झण्डा गाड़ रही हैं लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। अधिकांश महिलाओं के साथ अत्याचार व क्रूरता जारी है। किसी समाज मे जब तक भेद–भाव बना रहेगा तब तक उसे स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज नही कहा जा सकता। जिस भी समाज में स्त्रियों का अपमान होगा, तिरस्कार होगा वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता।

***KEY WORDS:** भारत, मानवाधिकार, महिला, मावनाधिकारों का सार्वभौम घोषणापत्र,लैंगिक विषमता*

भारतीय संविधान और महिला मानवाधिकार

भारतीय संविधान निर्माता मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से प्रभावित थे। मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया है। संविधान के भाग–3 में उल्लिखित मूल अधिकारों के अंतर्गत पुरूष तथा स्त्री में किसी भी प्रकार का भेद–भाव नही है। संविधान में ऐसे प्रावधाान किये गयें हैं जिससे महिलाओं के अधिकार तथा प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। अनु0 14, 15, 16, 19, 21, 23 द्वारा महिलाओं को कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक व्यापक मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं। अनुच्छेद 32 एवं 226 द्वारा महिलाओं को प्राप्त मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण मिला हुआ है। संविधान के भाग 4 मे उल्लिखित नीति–निर्देशक तत्वों के अंतर्गत महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। महिला–पुरूष समानता की दृष्टि से अनुच्छेद 39, 42, 43, 44 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य इस प्रकार की नीति बनायेगा कि सभी नागरिकों स्त्रियों और पुरूषों, को जीविका का समुचित माध्यम प्राप्त हो सके। 39 (म) में यह प्रावधान है कि सभी कामगारों के स्वास्थ्य एवं ताकत तथा बच्चों की नाजुक उम्र का दुरूपयोग न हो। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 44 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी पंथिक नियमावलियों से ऊपर उठकर समान नागरिक संहिता का निर्देश दिया गया है। संविधान के भाग 4 में 42 वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51।(म) के अनुसार 'महिला की गरिमा व सम्मान की रक्षा' प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में 33.3ः महिला आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354, 366, 373, 376 द्वारा महिलाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा को संरक्षण प्रदान किया गया है। महिला मानवाधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने सजग प्रहरी का काम किया है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायालय ने कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये राज्य सरकार को समितियों के गठन का आदेश दिया। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू कानून के अभाव में कामकाजी महिलाओं को कार्य स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों व नियमों पर ध्यान देना होगा जिससे लैंगिक भेद–भाव के बिना समानता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1) और 21 में है, यथार्थ में प्राप्त हो सके।(आनन्द,1998 पृ02)

महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम संसद द्वारा पारित किये गयेः–

1.विशेष विवाह अधिनियम 1954 :– इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई महिला अपना धर्म बदले बिना किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकती है।

1. **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम** :– इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है।
2. **दहेज प्रतिषेध अधिनियम** 1961ः– इसके द्वारा दहेज के लेन–देन को प्रतिबंधित किया गया है। 5 वर्ष तक कारावास और 15 हजार रूपया या दहेज की मूल्य जो भी अधिक हो जुर्माना से दण्ड मिलेगा।
3. **अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956** :– 26 जनवरी 1987 के पहले तक इस अधिनियम का नाम था 'स्त्री तथा बालिका अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम'। वेश्याघर चलाने या

1: Corresponding Author

परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने पर दण्ड की व्यवस्था है।

4. **स्त्रियों का अशिष्ट प्रस्तुतीकरण अधिनियम 1986** :– इस अधिनियम द्वारा स्त्रियों के अशिष्ट रूपण वाले विज्ञापन को प्रकाशित व प्रदर्शित करने पर प्रतिषेध लगाया गया है।
5. **सती (निवारण) अधिनियम 1986** :– सती कर्म करने के प्रयत्न के लिये 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने 1929 मे विधि द्वारा इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था।
6. **बाल–विवाह अवरोध अधिनियम** 1929 :– इस अधिनियम द्वारा विवाह के लिये वर की आयु 18 वर्ष तथा कन्या की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए अन्यथा विवाह वैद्य नही होगा तथा दण्ड भुगतना पड़ेगा। 1978 मे इसमें संशोधन किया गया तथा वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष किया गया। इसे 'बाल–विवाह अवरोध अधिनियम' 1978 के नाम से जाना जाता है।
7. **बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006** :– यह नियम बाल–विवाह का प्रतिषेध करता है। यहाँ बालक का अर्थ है पुरूष 21 वर्ष की आयु प्राप्त न हो तथा स्त्री 18 वर्ष की आयु प्राप्त न हो।
8. **गर्भ का चिकित्सकीय अधिनियम–1971** :– इसके तहत महिला किसी महिला चिकित्सक से गर्भ समाप्त करवा सकती है। कागज गुप्त रखे जायेंगे।
9. **भारतीय दण्ड संहिता–1860** :– महिलाओं के साथ होने वाले अपराधो के लिये इसमे संशोधन कर कड़े प्रावधान किये गये।
10. **304(ठ) दहेज मृत्य** – विवाह के 7 वर्ष तक स्त्री की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न रूप में होती है। और यह प्रदर्शित होता है कि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसे दहेज की मांग के लिये परेशान किया गया था तो यह दहेज मृत्यु माना जायेगा। मृत्यु का कारण पति या रिश्तेदार माने जायेंगे।113(ठ) पति या रिश्तेदार द्वारा स्त्री को आत्म हत्या के लिये प्रेरित करना।
11. **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990** :– यह अधिनियम महिला आयोग के गठन से संबधित है। धारा 10 में इसके कार्यो की सूची दी हुई है।
12. **कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम–2013** :– यह 9 दिसम्बर 2013 से लागू है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित माहौल देना है।

महिलाओं के कल्याण के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख योजनायें चलाई गईः

1. **डवा करा**– इसके द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जाता है।
2. **स्वाधार गृह योजना**– महिलाओं को शोषण से बचाने के लिये महिला बाल–विकास विभाग ने 2001–2002 में प्रारम्भ किया। इसका लक्ष्य आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, प्रशिक्षण तथा कानूनी सहायता से कठिन परिस्थितियों में रह रही महिला का पुनर्वास करना है।
3. **सबला योजना**– इसका लक्ष्य 11–18 वर्ष के बीच आयु की किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल तथा कौशल प्रशिक्षण द्वारा सशक्त बनाना है।
4. **राष्ट्रीय मातृत्व योजना**– इसका लक्ष्य गरीबी से नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं को प्रसूति के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।

   1 जनवरी 2017 से **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** चलाई जा रही है। इसके तहत परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिये माता के खाते मे सीधे 5000/ रूपया भेजा जाता है। यदि आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण है तो 1000 और मिलता है।
5. **प्रसूति लाभ विधेयक 2016**– कामकाली महिलाओं के हित में 9 मार्च 2017 को प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया गया। पूर्व अधिनियम में संशोधन करते हुये प्रसूति अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। यदि नियोक्ता चाहे तो किसी महिला को घर से काम करने की अनुमति दे सकता है।
6. **जन–धन योजना**– बिना नगद जमा किये खाता खुलवाया जा सकता है।
7. **सुकन्या समृद्धि योजना**– बालिका को मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य है। इसके तहत जमा पैसे पर अन्य योजनाओं की अपेक्षा अधिक व्याज मिलता है। यह विवाह तथा शिक्षा पर खर्च होने वाली समस्या से बचने के लिये है।
8. **बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ** – 25 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरूआत हुई। इससे बालिकाओं के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनेगा।
9. **महिला ई हाट** – महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये मार्च 2016 के प्रारंभ की गई। इससे आन–लाईन मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है।
10. **उज्जवला योजना**– मई 2016 से प्रारम्भ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिये फ्री गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर धुयें से उन्हे मुक्ति दी गई।

सरकार जनजातीय महिलाओं के कल्याण के लिये कई योजनायें चला रही है। **दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना** द्वारा गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वंय सहायता समूहों के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से महिला हेल्प लाइन शुरू किया गया है। 181 पर फोन कर महिला चिकित्सा, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता व परामर्श पा सकती है। अप्रैल 2016 से 24 घंटे यह सेवा उपलब्ध है। इस पर विभिन्न

प्रकार की सरकारी सहायता की जानकारी भी पाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पुलिस बल में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित करने के लिये कहा है।

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, संसद द्वारा पारित अधिनियमों, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी महिलाओं की स्थिति संतोष जनक नहीं कही जा सकती। घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, महिलाओं का यौन शोषण, कन्या भ्रूण हत्या, अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड व्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में महिलाओं के विरूद्ध 338954 अपराध दर्ज किये गये जिसमें 66525 मामले (19.62 प्रतिशत) अपहरण के दर्ज है। कुल अपहरण के 89875 मामलों में महिलाओं के अपहरण का प्रतिशत 74 था। महिलाओं के खिलाफ अपराध 2015 की तुलना में 2016 मे 2.9 प्रतिशत बढ़ा है। ससुराल या पति द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध में 32.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महिला के शील भंग करने के मामले में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार के मामले में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं को बंधक बनाये जान के मामले में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ो के अनुसार सबसे अधिक वारदात उ0प्र0 मे हुई है। कुल अपराध का 9.5 प्रतिशत घटनायें उ0प्र0 में घटी हैं। 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू होन वाले हरियाणा मे हर दि 4 महिलाओं की इज्जत लूटती है। N.C.R.B द्वारा जारी 2016 के आकड़ो में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराधों मे मेट्रों शहरों में जहाँ दिल्ली का शीर्ष स्थान है, वही गैंगरेप के मामले में हरियाणा शीर्ष पर है। जनवरी से 30 नवंबर 2017 के मध्य हरियाणा में महिलाओं के रेप के 1,238 मामले दर्ज हुये । हरियाणा मे 2016 के दौरान गैंग रेप के 191 मामले दर्ज हैं।

महिला सशक्तिकरण की रट लगाने वाले दल संसद मे महिला आरक्षण बिल को पास नही करते। कहीं न कहीं उन्हें यह लगता है इससे पुरूषों के बर्चस्व को चुनौती मिल सकती है। यदि हम महिलाओं का लोकसभा मे प्रतिशत देखे तो वह 33 प्रतिशत से बहुत दूर है। 14वीं लोकसभा में 44, 15वीं मे 58 तथा 16वीं में 66 महिला सदस्य है। यही नहीं मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को महत्वपूर्ण पद नही दिया जाता है। 2011 मे भारत की कुल साक्षरता दर पर नजर डाले तो पुरूषो की तुलना में महिलायें बहुत पीछे हैं। कुल साक्षरता 74.4 प्रतिशत थी। पुरूष साक्षरता 82.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत थी। गरीबी, असुरक्षा व रूढ़िवादिता के कारण कन्याभ्रूण की हत्या कर दी जाती है।

स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के बीच में मामूली वृद्धि हुई है। अन्यथा लगातार लिंगानुपात कम होता जा रहा है। यदि यही स्थिति रहेगी तो आगे चलकर लोगों को बहुवें नहीं मिलेंगी। इसका दुष्प्रभाव यह हो सकता है कि बहुपति प्रथा प्रारम्भ हो जाये है। इस प्रकार महिलाओं के मानवाधिकारों की भारत मे दुर्बल स्थिति है।

भारत में लिंगानुपात (प्रतिहजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)

वर्ष	लिंगानुपात
1901	972
1931	950
1951	946
1961	941
1991	927
2001	933
2011	940

दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। पश्चिमी देशों में महिलाओं को समानता का अधिकार एक लम्बे संघर्ष के बाद मिला परंतु भारत में आजादी के बाद संविधान द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिल गया। महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे राष्ट्रनायक महात्मा गांधी का रहा। वे स्त्री पुरूष समानता के पक्षधर थे। वे आजादी की लड़ाई के साथ–साथ मूक रूप से महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय संविधान तथा संसद द्वारा महिलाओं को व्यापक अधिकार मिले हैं। उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिये सरकारें और गैर सरकारी संगठन क्रियाशील हैं। आज महिलायें आटोरिक्शा से लेकर ट्रेन तक चला रही हैं। घर से लेकर बड़े–बड़े संस्थानों को कुशलतापूर्वक चला रही हैं। प्रबंधन के मामले में पुरूष से किसी तरह कम नहीं दिख रही हैं। सेना मे भी महिलाओं का प्रवेश हो चुका है। 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेना के तीनो अंगों की पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी राजपथ पर दिखाई दी। इन आंकड़ो के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं को पुरूषों के बराबर वास्तव में अधिकार मिल चुका है। महिलाओं के मानवाधिकार सुरक्षित हैं पर ऐसी महिलाओं की संख्या मुट्ठी भर है। अधिकांश महिलायें अपना जीवन भय और कठिन परिस्थियों में बिता रही हैं। भले ही स्त्री–पुरूष में सविधान भेद नहीं करता है, जीवन का अधिकार सभी को प्राप्त है परंतु लड़कियों को गर्भ मे ही मार दिया जाता है, धरती पर आने के पूर्व ही उनके जीवन के अधिकार को समाप्त पर दिया जाता है। जो लड़की बच जाती है उसे बड़ा होने पर भाई–बहन, माँ–बाप और परिवार की देख–भाल की जिम्मेदारी उठाने के लिये तैयार किया जाता है। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी लड़कियों से छेड़–छाड़, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के मामले रूक नहीं रहे हैं। कानून बनने के बाद भी लड़कियां दहेज की बेदी पर झुलस रही हैं। पढ़ी–लिखी, नौकरी करने वाली महिलायें भी घरेलू प्रताड़ना और हिंसा का शिकार हो रही हैं। बदला लेने के लिए लड़कियों और महिलाओं पर एसिड अटैक कर दिया जाता है और उनका बलात्कार किया जाता है बी0बी0सी0 की रिपोर्ट हाउ मैनी

एसिड अटैक में बताया गया है कि 34 प्रतिशत एसिड अटैक इसलिए किये जाते हैं क्योंकि महिला शादी या संबध बनाने से इंकार कर देती है(योजना, सितम्बर 2016)। इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटी, बहन या पत्नी की हत्या कर दी जाती है। महिलाओं व विशेषकर छात्राओं का पीछा करना या स्टाकिंग एक आम बात हो गई है। उ0प्र0 में रोम्यो स्कवायड बनाया गया है इसके बावजूद भी छात्रायें तथा महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है दूसरी तरफ अराजक तत्व (तथाकथित धर्म और संस्कृति के ठेकेदार) महिलाओं के कपड़े विशेषकर–जिन्स, पैंट, टाप, टी शर्ट पर प्रतिबंध की बात करते है धमकी देते है, मार–पीट करते है या दुर्व्यवहार करते हैं।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि महिलायें कहीं भी सुरक्षित नही हैं। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कानूनों के क्रियान्वयन के कमी तो नही? शोहदों और अराजक तत्वों को प्रभावशाली लोगों का संरक्षण तो नहीं? पुलिस पर, जांच आयोगों पर राजनीतिक दबाव तो नहीं? क्या किया जाय? सबसे पहले तो महिलाओं में शिक्षा का प्रसार किया जाय। शत्–प्रतिशत का लक्ष्य रखा जाय। जागरूकता व अज्ञानता के कारण महिलायें अपने अधिकारों को जान नहीं पाती। महिलाओं को मानवाधिकारों की जानकारी देने के लिये जगह–जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम व गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए। वहाँ पर महिलायों को विषम परिस्थितियों से निपटने के उपाय तथा पीड़ित महिला को कानूनी उपायों की जानकारी दी जाय। इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में इस कार्य को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से किया जा सकता है। पहले अकेली अविवाहित तलाकशुदा या विधवा महिला को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था परंतु अब समाज में बदलाव दिख रहा है। अकेली आत्म–निर्भर महिला अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सकती है। किसी मामले में यदि महिला मानवाधिकार आयोग पर राजनीतिक दबाव पड़ता है तो उसे दबाव में नहीं आना चाहिए। भले ही उसे अपने पद को छोड़ना पड़े। महिला को महिला हित में सकारात्मक प्रयास करना होगा। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी महिला के मानवाधिकार का हनन करता है तो समाज में उसके प्रति हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति किसी दल से जुड़ा हो तो दल द्वारा बिना हानि–लाभ का गुणा किये तुरन्त दल से बाहर कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को खुद अपने अधिकार के लिये जागरूक रहना होगा, शिक्षा प्राप्त कर आत्म निर्भर बनकर अंदर से मजबूत होना होगा अन्यथा महिला सशक्तिकरण, स्त्री–पुरूष समानता का ढ़ोल पीटने से कोई फायदा नही होगा। महिला मानवाधिकार के कानूनी और राजनीतिक पहलू से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक पहलू है।

संदर्भ

मैक्फारलेन, *द थियरी एण्ड प्रैक्टिस आफ ह्यूमन राइट्स,* पृ055

आनन्द, ए (1998): 'ह्यूमन राइट्स एट दी थ्रेसोल्ड ऑफ दी न्यू मिलेनियम', *जनरल आफ दी इंण्डियन लॉ इंस्टीट्यूट,* 1998, भाग **40,** पृ0 **2**

एन0सी0आर0बी0 रिपोर्ट 2018 www.patrica.com, Publish Jan 30, 2018

aajtak.in Edited by मुकेश कुमार गजेंद्र , नई दिल्ली 7 मार्च 2018

योजना, सितम्बर 2016, सूचना भवन, सी0जी0ओ0 परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली, पृ0 49